कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

दिनांक :– 13.10.2021

स्नातकोत्तर / स्नातक स्तर में जनरल प्रमोशन उपरांत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रवृत्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय से तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को ई–प्रवेश पोर्टल पर राशि रू. 500/– जमा कराने के उपरांत पूर्व में जारी निर्देशों के तहत विभिन्न विभागों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में जाने की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में विद्यार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निर्देश विद्यार्थियों तथा प्रवेश प्रभारियों के लिए जारी किए जाते हैं –

1. स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया विभिन्न विभागों में तथा स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विभाग में संपादित की जा रही है। विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन का शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। शुल्क जमा नहीं होने पर अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश नहीं होगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जवाबदार होगा।
2. विगत सत्र में जमा की गई प्रवेश राशि रू. 1000/– या जनरल प्रमोशन की राशि रू. 500/– के अतिरिक्त पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
3. अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विगत सत्र की छात्रवृत्ति प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त राशि महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति कम आती है या नहीं आती है, तो उन्हें मुख्य कार्यालय में छात्रवृत्ति शाखा (खिड़की क्रमांक 03) पर छात्रवृत्ति के फार्म पर प्रभारी से कितनी राशि प्राप्त हुई है या नहीं हुई, की जानकारी लिखवा कर प्रशासनिक अधिकारी के लिखने के उपरांत ही प्रवेश शुल्क जमा करने में छूट प्रदान की जावेगी।

4. पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विगत सत्र का प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति नहीं आती है, तो उन्हें मुख्य कार्यालय में छात्रवृत्ति शाखा (खिड़की क्रमांक 03) पर छात्रवृत्ति के फार्म पर प्रभारी से राशि प्राप्त नहीं होने का कारण लिखवा कर प्रशासनिक अधिकारी के लिखने के उपरांत ही प्रवेश शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की जावेगी।
5. ऐसे विद्यार्थी जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें विगत सत्र का स्टेटस् अर्थात् विवरण (महाविद्यालय को विद्यार्थी की राशि प्राप्ति की जानकारी) का संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी सत्र का प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। यदि किसी विद्यार्थी के फार्म का स्टेटस् पेंडिग या रिजेक्ट बता रहा है, तो पुनः फार्म प्रिंट कर दस्तावेज लगाकर प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 20.10.2021 तक जमा करना होगा, जिससे कि उसकी स्वीकृति जारी की जा सके।
6. ऐसे विद्यार्थी जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के प्रवेशित हैं और उनकी राशि महाविद्यालय को प्राप्त हो गई है और उनके पास विगत सत्र प्रवेश रसीद नहीं है, तो उन्हें स्टेटस् का प्रिंट लगाने से प्रवेश कार्य हो जायेगा। अन्य विद्यार्थियों को विगत सत्र प्रवेश रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
7. इंस्पायर, सेंट्रल सेक्टर, नेशनल छात्रवृत्ति या अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विगत सत्र (यदि नहीं जमा किया है तो) एवं इस सत्र का प्रवेश शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।

प्रवेश प्रभारी

प्राचार्य